भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 643

06 फरवरी, 2024 को उत्तरार्थ

विषय: किसानों की आत्महत्या के संबंध में एनसीआरबी के आंकड़े

643. डॉ. मोहम्मद जावेदः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के 2022 के आंकड़ों पर ध्यान दिया है, जिसमें यह उल्लेख किया गया है कि देश में किसान प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं;

(ख) क्या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) किसानों द्वारा आत्महत्या किए जाने की दर को कम करने में सफल रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री अर्जुन मुंडा)

(क) से (ग): गृह मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) भारत में "दुर्घटनावश मृत्यु और आत्महत्याएं" (एडीएसआई) नामक अपने प्रकाशन में आत्महत्याओं से संबंधित सूचना संकलित और प्रसारित करता है। वर्ष 2022 तक की रिपोर्ट एनसीआरबी की वेबसाइट (https://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध है। एडीएसआई रिपोर्टों के अनुसार किसानों की आत्महत्या के अलग से कारण नहीं दिए गए हैं।

कृषि राज्य का विषय होने के कारण, भारत सरकार उपयुक्त नीतिगत उपायों और बजटीय सहायता तथा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों में सहायता करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) ऐसी योजनाओं में से है जिसे 2016 में किसानों के लिए उच्च प्रीमियम दरों की समस्याओं को दूर करने और कैपिंग के कारण बीमा राशि में कमी की समस्याओं को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। कार्यान्वयन के पिछले 7 वर्षों में 49.44 करोड़ किसान आवेदनों को नामांकित किया गया और 14.06 करोड़ (अनंतिम) से अधिक किसान आवेदकों को 1,46,664 करोड़ रुपये से अधिक के दावे प्राप्त हुए हैं। इस अवधि के दौरान किसानों द्वारा प्रीमियम के हिस्से के रूप में लगभग 29,183 करोड़ रुपये का

भुगतान किया गया था, जिसके सापेक्ष 1,46,664 करोड़ रुपये (अनंतिम) से अधिक के दावों का भुगतान किया गया है। इस प्रकार, किसानों द्वारा भुगतान किए गए प्रत्येक 100 रुपये के प्रीमियम के लिए, उन्हें दावों के रूप में लगभग 502 रुपये प्राप्त हुए हैं।

पीएमएफबीवाई में सभी खाद्य फसलों (अनाज, श्रीअन्न और दलहन), तिलहन और वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के कवरेज की परिकल्पना की गई है, जो फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) के आधार पर अपेक्षित वर्षों की पिछली उपज के आंकड़ों की उपलब्धता के साथ-साथ दावों की गणना करने के लिए फसल की उपज का आकलन करने के लिए अपेक्षित संख्या में सीसीई आयोजित करने के लिए राज्य सरकार की क्षमता के अध्यधीन है। तथापि, उपर्युक्त प्रावधान को ध्यान में रखते हुए संबंधित राज्य सरकार द्वारा विशिष्ट फसल अधिसूचित की जाती है। उपर्युक्त शर्तों को पूरा न करने वाली फसलों के लिए संबंधित राज्य सरकार पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा स्कीम (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) जिसके तहत मौसम सूचकांक पैरामीटरों के आधार पर दावों के भुगतान की व्यवस्था की जा रही है, के तहत कवरेज हेतु उन्हें अधिसूचित करने के लिए स्वतंत्र है।

*****